तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
03.03.2021	वकील वादी उप०। दावा वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया एवं सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।
	(बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:52:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

पीठासीन अधिकारी – बृजेश कुमार (आर.ए.एस)

वाद संख्या – 111/2020(जीसीएमएस न. 2020/00324)

1. योगेश कुमार सैनी पुत्र श्री रामकुवार उम्र 54 साल जाति माली नि. वार्ड न. 27 पुलिस का मोहल्ला छावनी तह. नीमकाथाना जिला सीकर राज.

–वादी

वनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

–प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा. का. अधि. 1955

उपस्थित :– श्री फतेह सिंह वादी वकील

निर्णय

दिनांक :– 03-03-2021

वाद पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार हैं कि भूमि खाता संख्या पुराना 109 नया खाता संख्या 184 के भूमि ख. नं. 964 रकबा 3.54 है0 किस्म बारानी 3 कुल किता 1 कुल रकबा 3.54 है0 तन ग्राम गोडावास पटवार हल्का गोडावास तह. नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित हैं। उक्त भूमि की खातेदारी पूर्व में वादी के पिता रामकुवार व अन्य के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। वादी के पिता रामकुवार पुत्र गेंदा का देहान्त होने पर रामकुवार के नाम दर्ज भूमियों का नामान्तकरण रामकुवार के वारिसान के नाम दर्ज किया गया जिसमें वादी का नाम सहवन से योगेश कुमार सैनी की जगह जोगेश कुमार दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी का वास्तविक नाम योगेश कुमार सैनी पुत्र रामकुवार हैं। वादी के अन्य दस्तावेजों राशन कार्ड, [illegible] कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में वादी का सही नाम योगेश कुमार सैनी ही दर्ज हैं। वादी ने भूमिधारी के अधिनस्थ कर्मचारियों से अपना सही नाम जोगेश कुमार की जगह योगेश कुमार सैनी दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया तो उन्होंने कहा की आपको न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के यहां इस संबंध में वाद प्रस्तुत करना पडेगा। इसलिए यह वाद पत्र माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना में वाद हेतुक उत्पन्न होने से प्रस्तुत किया गया हैं जो न्यायालय के श्रवणाधिकार क्षेत्र में हैं।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। [illegible] समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2075–2078,आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन [illegible] पासबुक, नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं साक्ष्य में अपने [illegible] जाति सैनी नि. वार्ड न. 27 पुलिस का मोहल्ला छावनी [illegible] पत्र प्रस्तुत किये हैं।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brajesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:52:51 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील वादी सुनी गयी। पत्रावली पर मौजुद राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम जोगेश कुमार पुत्र रामकुवार अंकित हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, में वादी का नाम योगेश कुमार सैनी पुत्र रामकुवार अंकित हैं। जिसे राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त कर डिक्री किया जाना न्यायोचित हैं।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता हैं तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता हैं कि भूमि खाता संख्या पुराना 109 नया खाता संख्या 184 के भूमि ख. नं. 964 रकबा 3.54 है0 किस्म बारानी 3 तन ग्राम गोडावास पटवार हल्का गोडावास तह. नीमकाथाना **के राजस्व रिकार्ड में जोगेश कुमार पुत्र रामकुवार के स्थान पर योगेश कुमार सैनी पुत्र रामकुवार** दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:52:51 IST
Reason: SelfAttested